झारखण्ड सरकार
कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),
कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची
संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, कृषि भवन परिसर, काँके रोड, राँची–834008
e.mail – daoranchi1@gmail.com

अति अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)

रांची जिला में कांके एवं बुण्डु प्रखंड मुख्यालय में एग्री क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन हेतु अति अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत एग्री क्लीनिक उपयोजना के कियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में रांची जिला के काँके एवं बुण्डु प्रखंड मुख्यालय में स्थित कृषि तकनीकी सूचना केन्द (ATIC) में एग्री क्लीनिक संचालन किया जाना है। एग्री क्लीनिक स्थापना के उद्देश्य किसानो को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करना है। इस योजना अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संम्बद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा – मृदा स्वास्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

इसी उद्देश्य से अनुभवी एवं इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) से दिनांक 08.10.2024 के अपराह्न 1.00 बजे तक **इच्छा की अभिव्यक्ति** आमंत्रित की जाती है, जिसे उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। ।

इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित दस्तावेज कार्यालय अवधि में जिला कृषि पदाधिकारी –सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, राँची के कार्यालय से अथवा आत्मा, राँची के वेबसाईट www.atmaranchi.org से डाउनलोड भी कर सकते है।

30/9/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
राँची

कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची
संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, कृषि भवन परिसर, काँके रोड, राँची।

रांची जिला में कांके एवं बुण्डु प्रखंड मुख्यालय में एग्री क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन हेतु अति अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति का Bid Document

रांची जिला में किसानो को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करने हेतु एग्री क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य से अनुभवी एवं इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) **से दिनांक 05.10.2024** के अपराह्न 1.00 बजे तक इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण ज्ञानकारी पहुँचाई जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ई–मोबाईल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाऐंगे। इसके पश्चात् जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहुॅचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाईल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा – मृदा स्वास्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाऍ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

1. एग्री क्लीनिक का संचालन–

एग्री क्लीनिक की स्थापना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन सेंटन भवन में प्रस्तावित है। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35X9 फीट का एक बरामदा, 20X15 फीट का एक, 12X10 फीट का दो, 15X10 फीट का दो कमरा के साथ शौचालय तथा 10X10 फीट का एक जेनेरेटर कमरा है। उक्त भवन में एग्री क्लीनिक के लिए विभिन्न कमरे निम्न अंकित ले–आउट के अनुसार कार्य करेंगे। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

- बरामदा –कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था
- कमरा न0–1 –एग्री क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, कम्प्यूटर रूम.
- कमरा न0–2 –एग्री क्लीनिक, कम्प्यूटर रूम
- कमरा न0–3 –मिनी स्वाईल टेस्टींग लैब
- कमरा न0–4 –कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी का कमरा
- कमरा न0–5 –स्टोर रूम

2. एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाऍ –

एग्री क्लीनिक में कृषकों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस से संबंधी सुविधाऍ उपलब्ध करायी जायेगी। एग्री क्लीनिक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं प्रक्रिया के संबंध में एग्री क्लीनिक के भवन के बाहर सुस्पष्ट रूप में सूचना अंकित की जायेगी। यह सूचना दीवार

लेखन/बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी। एग्री क्लीनिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

3. **एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणाली –**

एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध करायेगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराहन तक होगी। रविवार एवं N.I.Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बन्द रहेगा। कृषकों के आगमन के उपरांत उनके आवश्यकता के अनुरूप आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त आवेदन को एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात पावती रसीद कृषकों को दी जायेगी एवं एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी वर्णित विवरणी के अनुसार कारवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसमें एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों की पूरी जानकारी, उददेश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

4. **दल की संरचना –**

एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत समूह/संस्था द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा, उसमें कुल तीन सदस्य होगें, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc. (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार अपस्थित रहकर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

5. **मासिक प्रगति प्रतिवेदन –**

एग्री क्लीनिकों के परिचालन का कार्य सुचारू रूप से करते हुए निर्धारित कार्यसूची पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक) को देना होगा। प्रतिमाह व्यय प्रतिवेदन एवं विपत्र भी उपस्थापित करना होगा।

6. **वित्तीय प्रावधान –**

एग्री क्लीनिक संचालन हेतु रू0 7.00 लाख प्रति वर्ष प्रति एग्री क्लीनिक की दर से देय होगा।

7. **एग्री क्लीनिक के कार्य –**

- कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जॉच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित के0सी0सी0 आवेदन के जॉचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जाएगी।
- संपर्क पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक / कृषक मित्र के द्वारा minetjh.prosixinfotech.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई

की स्वीकृती की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर एस.एम.एस के माध्यम से उपलब्ध होगी।

- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषक के मॉग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीप बोरिंग, बिरसा पक्का चेक डैम, परकोलेशन टैंक, सौर उर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।
- कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/ प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएँ कृषकों को उपलब्ध कराना/जागरूक करना।
- पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- e-NAM में पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस के माध्यम से सामायिक कृषि मौसम, फसल, मंडी भाव एवं कीटव्याधि आदि की सूचना देना भी कार्यकारी एजेंसियों का दायित्व होगा। इस कार्य हेतु वे विपणन सचिव से समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर लेगें।

8. **चयन हेतु पात्रता :**

इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) का चयन उनके पूर्व के कार्य अनुभव, मानव बल तथा एग्री क्लीनिक/ सेन्टर चलाने के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा, जिसके समर्थन में समस्त प्रासंगिक अभिप्रमाणित कागजात समर्पित किए जाने आवश्यक है :

- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह को एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो/कृषि कार्यो में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह का विगत तीन वर्षो (वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम पाँच लाख होना अपेक्षित है, जिस क्रम में प्रस्ताव के साथ अंकेक्षित बैलेंस शीट संलग्न की जानी अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह के नाम से जी0एस0टी0 नं0 एवं पैन नं0 होना अनिवार्य हैं।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह किसी भी सरकार/संगठन के द्वारा काली सूची में दर्ज न हो। इस आशय का शपथपत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य हैं।
- झारखण्ड राज्य में कार्य कर रहे एजेन्सी/संस्था/समूह को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस संदर्भ में संस्था की उपस्थिति एवं कार्यकलाप से संबंधित दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य होगी।

- एग्री क्लीनिक संचालन के एजेन्सी/संस्था/समूह द्वारा कार्य योजना PPT के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह रू0 2,500/– (दो हजार पाँच सौ रूपया) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

9. **अनुबंध की अवधि** :

- चयनित संस्था के साथ प्रथमतः अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी।
- अनुबंध अवधि का विस्तार संस्था की उपलब्धि की समीक्षा के आधार पर तथा विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वार्षिक विस्तारण के आधार पर किया जाएगा।

10. **इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक निदेशः**

- तकनीकी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सीलबंद लिफाफे में समर्पित किये जायेंगे। लिफाफे के उपर **'तकनीकी बिड'** अंकित कर उसे एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा किया जायेगा।
- आवश्यक कागजातों/दस्तावेजों के बगैर प्राप्त तथा आधे – अधूरे प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
- गठित समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत /रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव दिनांक 08.02.2021 के अपराह्न 1.00 बजे तक कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, **संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, कृषि भवन परिसर, काँके रोड, राँची** के कार्यालय में कूरियर/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ जमा कराया जा सकता हैं, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे गठित समिति के द्वारा खोले जायेगें।
- प्रस्ताव खोलने के समय समूह/संस्था अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- गठित समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- आवेदक संस्था के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, राँची के नाम से रू0 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपया) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा।
- आधे–अधूरे तथा नियत समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित दस्तावेज कार्यालय अवधि में जिला कृषि पदाधिकारी, राँची के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा परियोजना निदेशक, आत्मा, राँची के वेबसाईट www.atmaranchi.org से डाउनलोड भी कर सकते है। किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, राँची झारखण्ड से ई–मेल daoranchi1@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

1.1. मूल्यांकन मापदंड–

क0	मानक	अंक	न्युनतम अंक	अधिकतम अंक
1	कृषि एवं संबंध कार्यो में न्युनतम तीन वर्ष अनुभव	5 अंक (तीन वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए)	15	25
2	एग्री क्लीनिक / सेंटर चलाने के न्युनतम तीन वर्ष अनुभव	5 अंक (तीन वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए)	15	25
3	वार्षिक टर्न ओवर	5 अंक प्रत्येक पाँच लाख पर (न्यूनतम पाँच लाख के बाद)	10	25
4	झारखंड में कार्यालय		05	05
5	Power Point प्रस्तुतीकरण (एग्री क्लीनिक संचालन के संदर्भ में)		05	20
		कुल	50	100

12. Earnest Money Deposit (EMD)-

चयनित एजेन्सी/संस्था/समूह को EMD के रुप में 30 हजार रु का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारेन्टी देना अनिवार्च होगा। यह राशि अनुबंध खत्म होने के पश्चात लौटा दिया जाएगा।

13. EMD की जब्ती–

चयनित एजेन्सी/संस्था/समूह को EMD जब्त कर ली जाएगी जब

- चयनित संस्था के द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर।
- चयनित संस्था के द्वारा काम छोड़ने पर।
- चयनित संस्था के द्वारा सरकारी भवन तथा यंत्र नष्ट करने पर।

30/9/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
राँची।

प्रपत्र–1

APPLICANT DETAILS

1.	Name of bidder	
2. (a)	**Address of Bidder** Postal Address	
(b)	Phone / Mobile no:	
(c)	E-mail	
(d)	Website	
3 (a)	Name of Authorized Signatory to Bid	
(b)	Designation	
(c)	Phone (Landline) Phone (Mobile)	
(d)	E-mail	
4.	**Details of Registration**	
(a)	Nature of Registration-Company /Society/ Co-Operative/Trust/Other	
(b)	Relevant Registration Act	
(c)	Registration no. and year	
5.	**Pan no.**	
6.	**G.S.T. no.**	
7.	**Details of EMD**	
(a)	Issuing bank, Branch and others	
(b)	DD No.	
(c)	Amount (in Rs.)	

प्रपत्र–2

सहमति प्रमाण–पत्र

मैं .... (नाम) इस इच्छा की अभिव्यक्ति के आमंत्रण संबंधी सूचना में वर्णित समस्त शर्तो के अनुपालन तथा इस क्रम में विभाग के द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर :

व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

प्रपत्र–3

संस्था प्राधिकार – पत्र

मैं .... (नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं .... (संस्था का नाम), जो .... (अधिनियम) के अन्तर्गत निबंधित है का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता हूँ तथा इस इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन समर्पित करनेवाले व्यक्ति .... (नाम) को अपनी संस्था की ओर से विधिवत् प्राधिकृत करता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था का मुहर

हस्ताक्षर :

व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

प्रपत्र–4

DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/DEBARING FOR TAKING PART IN TENDER/EOI

(To be executed and attested by public Notary/Executed Magistrate on Rs. 10/- non judicial stamp paper by the firm/Company/Organization).

I/We............................Firm/Company.. hereby declare that the Firm/Company/Organization namely M/s .... has not been blacklisted or debarred in the past by Union/State Government or organization from taking part in Government tenders/ EOI In India.

Or

I/We .... firm/Company/organization... .... hereby declare that the Firm/Company namely M/s.................................. was blacklisted or debarred in the past by Union/State Government or organization from taking part in Government tenders/ EOI for a period of .... years w.e.f......................... to.......... .... The period is over on .... and now the firm/Company/Organization is entitled to take part in Government tenders/ EOI.

In case the above information found false I /we are fully aware that the Jharkhand and EMD/Performance security shall be forfeited.

In addition to the above District Agriculture Officer, Ranchi will not be responsible to pay the bills for any complete/partially completed work.

Deponent

Name ....

Address........................

Attested:

Signature

प्रपत्र–5

कार्य अनुभव (Work Experience)

क0 स0	कार्य का विवरण	वर्ष	कार्य की संख्या	अभियुक्ति
1				
2				
3				
4				
5				

नोट : स्व अभिप्रमाणित कार्य अनुभव की छायाप्रति संलग्न करे।

प्रपत्र–6

वार्षिक टर्न ओवर (Annual Turn over)

क0 स0	वर्ष	वार्षिक टर्न ओवर	अभियुक्ति
1			
2			
3			
4			
5			

नोट : स्व अभिप्रमाणित अंकेक्षित प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करे।